

खिलाफ नं० 252/14

NRO 1 3.70.59.27561116.110 प्रतक  
8/87

(9)

न्यायालय परगनाधिकारी तहसील महाराज गंज (सदर)

वाद संख्या - 106/2014 धारा 143 यू0पी0जैड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट

ग्राम महुअवा तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील व जनपद महाराज गंज

शांति फाउण्डेशन बनाम सरकार

नकल- निर्णय दि०-21/8/14

प्रस्तुत वाद श्री शान्ति फाउण्डेशन स्थित 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोखपुर द्वारा मुख्य ट्रस्टी अभय कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री केशव चन्द श्रीवास्तव निवासी 132 जी0 एच0 अशोक नगर वसारतपुर शहर गोरखपुर द्वारा जर्गीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के प्रार्थना पत्र पर प्राप्त तहसीलदार सदर महाराज गंज से आख्या आहूत की गयी। तहसीलदार सदर महाराज गंज ने अपनी आख्या दिनांक 25-06-2014 प्रस्तुत करते हुए तथा प्रार्थी/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नकल खतौनी और प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम महुअवा तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील व जनपद महाराज गंज के खसरा नं0 21 क्षेत्रफल 0.4780 है0 लगानी 19.40 रू0 सालाना जो कि माल कागजात में वादी/संस्था के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है, को आबादी दर्ज कराने की प्रार्थना के साथ अकृषक भूमि प्रयोग होने के कारण प्रस्तुत किया था, में वर्तमान में निर्माण कार्य होना व्यक्त करते हुए उक्त समस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। आख्या के आधार पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पक्ष उ0प्र0 सरकार के द्वारा नामिका वकील को समन जारी किये गये, जो बाद तामील सलग्न पत्रावली हैं।

मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का विधिक परिशीलन किया। वादी ने दिनांक 01-06-2014 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी संकमणीय भूमिधरी को अकृषक घोषित कर

--- 2 पर

Trustee  
Shanti Foundation  
Gorakhpur


ITM COLLEGE OF PHARMACY Shanti Foundation  
MAHARAJGANJ- 273303 Gorakhpur

दिया जाये। तहसीलदार की जांच से स्पष्ट हुआ कि खसरा नं० 21 क्षेत्रफल 0.4780 है० लगानी 19.40 रू० सालाना में कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा भौके पर निर्माण चल रहा है। धारा-143 के अन्तर्गत किसी गाटे को आबादी/अकृषिक तभी घोषित किया जा सकता है जबकि उसका वास्तविक उपयोग गैर कृषि प्रयोजन में किया जा रहा हो। उपरोक्त गाटों को वास्तविक रूप से कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है तथा समस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रह गयी है, आबादी के रूप में प्रयोग की जा रही है और निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि को नियमानुसार धारा-143 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की तहत आबादी घोषित कर दिया जाये।

#### आदेश



अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर घोषित किया जाता है कि ग्राम महुअवा तप्पा कटहरा, परगना हवेली, तहसील व जनपद महाराज गंज के खसरा नं० 21 क्षेत्रफल 0.4780 है० लगानी 19.40 रू० सालाना को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति निबन्धक सदर महाराज गंज को भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।


दिनांक : 21-08-2014

  
उपजिलाधिकारी


सदर महाराज गंज

नकल सवाल का दिनांक 25/8/14  
नकल तैयारी का दिनांक 26/8/14  
नकल जारी का दिनांक 27/8/14  
तादात स्टाम्प 27-08-14

नकल कर्ता   
तु 

सत्य प्रतिलिपि  
  
पत्रकार 26.8.14

  
Trustee  
Shanti Foundation  
Gorakhpur

  
Trustee  
Shanti Foundation  
Gorakhpur  
ITM COLLEGE OF MANAGEMENT  
MAHARAJGANJ- 273303